न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—226/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/226)

1. श्री बहीदूद्दीन पुत्र स्व0 श्री नसरूद्दीन खान जाति खत्री मुसलमान
2. चांद मोहम्मद पुत्र स्व0 श्री नसरूद्दीन खान जाति खत्री मुसलमान
3. सलीम पुत्र स्व0 श्री नसरूद्दीन खान जाति खत्री मुसलमान
4. नियामत पुत्र स्व0 श्री नसरूद्दीन खान जाति खत्री मुसलमान
5. श्री फारूख पुत्र स्व0 श्री बदरूद्दीन पौत्र श्री नसरूद्दीन खान जाति खत्री मुसलमान
6. अमजद पुत्र स्व0 श्री शहाबुद्दीन पौत्र श्री नसरूद्दीन खान जाति खत्री मुसलमान समस्त निवासीगण—ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. सज्जन कुरैशी पुत्र श्री सत्तार जाति मुसलमान निवासी—ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ,नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 143/2020

उपस्थितः—

1. श्री एन.के. जैन, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः—09.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 143/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा वर्किंग खसरा नम्बर 6938 रकबा

Scanned with CamScanner

81–00–00 में से 10 बीघा के हाल खसरा नम्बर 9131 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 9177 रकबा 5.69 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 9178 रकबा 12.81 हैक्टर भूमि में से 10 बीघा भूमि के खातेदार घोषित किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्किंग खसरा नम्बर 6938 मिन रकबा 10 बीघा भूमि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 0 के पिता श्री सत्तार पुत्र मोलाबक्ष को दिनांक 12.08.1975 को आवंटित की गई थी, आवंटन का वर्किंग जमाबंदी में नामांतरकरण संख्या 1065 दिनांक 08.07.1997 को स्वीकार कर गैर खातेदार दर्ज किया गया, वादी के द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञप्ति के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया कि जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2022 को वादी/रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया जाकर गैर खातेदार घोषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 143/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 6938 रकबा 10–00–00 कि जिसे अप्रार्थी संख्या 01 के पिता सत्तार पुत्र मोलाबक्ष के द्वारा ही आवेदनकर्तागण के पिता व दादा नसरूद्दीन खां से प्रतिफल की राशि रूबरू गवाहान के प्राप्त कर दिनांक 13.06.1978 को ही बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया जब से ही नसरूद्दीन खां एवं उनके सवर्गवास के पश्चात अपीलार्थीगण का ही विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त चला आया है, आज भी मौके पर काबिज है, कब्जे काश्त की पुष्टि पटवारी हल्का के द्वारा भी जरिए मौका पर्चा दिनांक 22.07.22 से भी प्रमाणित है, राजस्व भू अभिलेख खसरा परिवर्तनशील से भी आवेदनकर्तागण का कब्जा काश्त प्रमाणित है, ऐसी अवस्था में अपीलाधीन भूमि कि जिसमें आवेदनकर्तागण का हित निहित है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि वर्गिक खसरा नम्बर 6938/2 रकबा 10 बीघा भूमि कि जिसे वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता सत्तार पुत्र मोलाबक्ष के द्वारा ही उनके जीवनकाल में ही विवादित भूमि कि जिसे अपीलार्थीगण संख्या 01 से 04 के पिता एवं अपीलार्थीगण संख्या 5 व 6 के दादा श्री नसरूद्दीन खान खत्री पुत्र श्री मोहम्मद नूर खान खत्री साकिन देह रामसर तहसील नसीराबाद को रूबरू गवाह के दिनांक 13.07.1978 को ही 2000/– रूपए की प्रतिफल की राशि प्राप्त कर, प्रतिफल राशि की एवज में रूबरू गवाहान के बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया, इस प्रकार विवादित भूमि की जिस पर श्री नसरूद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद नूर एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान अपीलार्थीगण का ही विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त चला आया है, कब्जे काश्त की पुष्टि पटवारी हल्का के द्वारा भी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.07.2022 से भी अपीलार्थीगण का ही कब्जा काश्त प्रमाणित है, यहां तक कि राजस्व भू अभिलेख खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2042,2051,2054,2059 एवं 2071 से भी यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अपीलार्थीगण का ही चला आया है,

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुंत किया गया जबकि विवादित भूमि पर कब्जा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता सत्तार का ही नहीं था तथा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 का भी वाद प्रस्तुति के रोज एवं इससे पूर्व तथा आज भी कब्जा ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के संदर्भ में वाद पत्र में अपीलार्थीगण भी हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार थे, परंतु वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा जानबूझकर समस्त वास्तविक तथ्यों के छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विवादित भूमि के कब्जे काश्त की कोई जांच ही नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में विवाद बिंदु कायम किए गए कि जिसमें विवाधक संख्या 01 आया आराजी मुतनाजा वादी के पिता को विधिवत आवंटन हुई थी, इस संदर्भ में अपील के उपरोक्त पैरा में उल्लेखितानुसार वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता सत्तार के द्वारा ही रूबरू गवाहन के श्री नसरूद्दीन खान खत्री से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर दिनांक 13.11.1978 को ही बेचान कर दी गई एवं कब्जा संभला दिया गया ऐसी अवस्था में विवाधक संख्या 01 का निर्णय विधिवत आवंटित के संदर्भ में किया गया निर्णय विधि के प्रतिकूल है, तथा साथ ही विवाधक बिंदु संख्या 02 आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इंद्राज त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है इस संदर्भ में निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 एवं 188 विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद के प्रस्तुत किया गया, परंतु इस संदर्भ में विधिक नोटिस धारा 80 जा0दी0 ही प्रेषित नहीं किया गया जबकि विधिक कानूनी नोटिस के अभाव में ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किया जाना चाहिए था, ऐसी अवस्था में भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर स्वच्छ हाथों से वाद पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया तथा साथ ही पुनः उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में अपीलार्थीगण आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है। बदरूद्दीन पुत्र नसरूद्दीन खान का स्वर्गवास हो चुका है, का वारिस अपीलार्थी संख्या 05 फारूख है तथा शहाबुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन खान का भी स्वर्गवास हो चुका है, का वारिस अपीलार्थी संख्या 06 अमजद है। धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद पत्र में कब्जा काश्त होना आवश्यक है, जबकि अपील के उपरोक्त पैरा में वर्णितानुसार वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता श्री सत्तार के द्वारा जरिए विक्रय खत दिनांक 13.06.1978 को संपूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर श्री नसरूद्दीन खान को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया, अपील के उपरोक्त पैरा में वर्णितानुसार अपीलार्थीगण का ही विधिक एवं भैतिक कब्जा काश्त चला आया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के अनुसार वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 को गैर खातेदार घोषित किया गया जबकि गैर खतोदार के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है, गैर खातेदार बाबत संबंधित तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट विवादित आराजी से किस प्रकार पीड़ित एवं हितबद्ध पक्षकार है यह प्रार्थना पत्र में बताने में असफल रहे है, केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते हैं। प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये गये है जो संतोषप्रद व सद्भाविक नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किय जाने योग्य है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम रातसर की आराजी प्रतिवादी की आवंटनशुदा आराजी है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 6938 मिन रकबा 10–00–00 का आवंटन दिनांक 12.08.1975 को प्रतिवादी के पिता सत्तार पुत्र मोलाबक्ष को किया गया। उक्त आवंटन का वर्किंग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 1065 दिनांक 08.07.1997 स्वीकार कर गैर खातेदार दर्ज किया गया। अपवंटन दिनांक से ही प्रतिवादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। बंदोबस्त विभाग ने हाल राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 9177 रकबा 5.69 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः हाल खसरा नम्बर 9177 में से 1.60 आराजी का खातेदार प्रतिवादी को घोषित किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में किए गए कथनों के अनुसार विवादित भूमि दिनांक 13.6.1978 को अपीलार्थी के पिता एवं दादा नसरूद्दीन खान द्वारा प्रतिफल की एवज में खरीदकर कब्जा प्राप्त किया गया एवं लगातार कब्जे काश्त में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाए जो निर्णय व डिक्री पारित किया है, उसे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है क्योंकि बिना कब्जे के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय वैध नहीं है। हम पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा दिनांक 13.11.1978 के अनुसार प्रथम दृष्टया सत्तार पुत्र मोलाबक्ष जो कि वादी रेस्पोडेंट के पिता थे के द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 6938/2 रकबा 10 बीघा दो हजार रूपए प्रतिफल की एवज में नसरूद्दीन खान वल्द मोहम्मद नूर खान को विक्रय की गई है एवं कब्जा व दखल दिया जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थीगण जो कि क्रेता नसरूद्दीन के वारिसान हैं, को बिना पक्षकार बनाए निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिससे अपीलांट व्यथित हुआ है एवं व्यथित होने के कारण यह अपील 96 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा वाद संख्या 143/2020, निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वकील अपीलार्थी द्वारा अपने मिमों ऑफ अपील तथ्यों को दहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 6938 रकबा 81 बीघा में से 10 बीघा भूमि प्रत्यार्थी के पिता सत्तार पुत्र मोलाबक्ष द्वारा दिनांक 13.11.1978 को दो हजार रूपए प्रतिफल की एवज में अपीलार्थी के पिता व दादा नसरूद्दीन खान व वल्द मोहम्मद नूर खान को विक्रय कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कब्जा व दखल दे दिया गया तभी से कब्जा काश्त निरंतर चला आया है। इस संबध में तहसीलदार द्वारा समय समय पर अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट में कार्यवाही की गई इस संबध में खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2042 एवं 2071 से 2074 जिसमें विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा दर्शाया है इसी प्रकार सम्वत 2051 व 2052 में भी अपीलार्थीगण की तिल व मूंग की काश्त बताते हुए कार्यवाही की गई इसी प्रकार सम्वत 2055 में भी तहसीलदार द्वारा एवं अन्य वर्षो में भी कार्यवाही की गई इस संबंध में मीमो अपील के साथ खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की गई है, एवं साथ ही तहसीलदार द्वारा धारा 91 का नोटिस दिनांक 17.10.1995, 09.10.2020, 21.11.2014 एवं 18.09.2019 प्रस्तुत की है, इसके अलावा हल्का पटवारी का मौका पर्चा दिनांक 22.07.2022 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 9177 पर अपीलार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाए व बिना कब्जे के संबंध में विवेचन किए निर्णय व डिक्री पारित की है एवं यह भी कथन किया है कि धारा 88 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम के तहत अनुसार गैर खातेदारी की उदघोषणा धारा 88 में नहीं की जा सकती है, क्योंकि आवंटन के बाद गैर खातेदारी का नामांन्तकरण दर्ज करने का अधिकार तहसीलदार को है एवं आवंटन से लेकर गैर खातेदारी दर्ज करने की एवं गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत की जाती है उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर रेस्पोडेंट वादी को गैर खातेदार घोषित किया गया जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। इस संबंध में वकील अपीलार्थी द्वारा 2022 आर0बी0जे पेज 82 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया एवं अपील स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने का कथन किया। वकील प्रत्यार्थी ने प्रतिउत्तर में बहस की कि इकरारनामे में खसरा नम्बर 6938/2 अंकित है, परंतु वादपत्र में 6938 रकबा 81 बीघा में से 10 बीघा प्रस्तुत किया है जो कि विवादित भूमि से मेल नहीं खाता है। यह भी कथन किया कि गैर खातेदारी के अंकन को पूर्व बंदोबस्त द्वारा हटाया गया इस कारण वाद प्रस्तुत किया यह भी कथन किया कि इकरारनामें के आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है एवं अपील निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रतिउत्तर में वकील अपीलार्थी द्वारा कथन किया कि वर्किंग खसरा नम्बर 6938 रकबा 81 बीघा में से 10 बीघा भूमि अपीलार्थी के पिता सत्तार खान को 12.08.1975 को आवंटन की गई थी इसके अलावा अन्य कोई भी भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 6938 ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद में है अपीलार्थी के पिता की नही रही न है केवल मात्र 10 बीघा भूमि जो रेस्पोडेंट के पिता को आवंटन की गई थी वही भूमि मात्र सत्तार खान की रही इसी भूमि को बहुमूल्य प्रतिफल की एवज में सत्तार खान द्वारा दिनांक 13.11.1978 को अपीलार्थी के पिता नसरूद्दीन खान को बेचान की गई व कब्जा दिया गया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद वर्किंग खसरा नम्बर 6938 रकबा 81 बीघा में से 10 बीघा भूमि वादी प्रत्यार्थी के पिता सत्तार पुत्र मोलाबक्ष को आवंटन की गई थी इसके अलावा अन्य कोई भूमि इस खसरा नम्बर 6938 में सत्तार पुत्र मोलाबक्ष की नहीं रही। इस आवंटन शुदा 10 बीघा भूमि को इकरारनामा दिनांक 13.11.1978 को 6938/2 अंकित करते हुए 2 हजार रूपए प्रतिफल की एवज में सत्तार द्वारा अपीलार्थीगण के पिता व दादा नसरूद्दीन खान वल्द मोहम्द नूर खान को बेचान किया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

जाना एवं कब्जा व दखल दिया जाना प्रमाणित होता है। प्रत्यार्थी द्वारा इकरारनामा दिनांक 13.11.1978 का विरोध नहीं किया गया केवल इतना कथन किया गया कि खसरा नम्बर बट्टा में है तथा इकरारनामें के आधार पर अपील नहीं की जा सकती है का कथन किया इकरारनामा नहीं किया गया हो अथवा फर्जी हो व कूटरचित हो ऐसा कोई कथन नहीं किया गया ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज एवं कोई शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। अतः इकरानामा दिनांक 13.11.1978 पर अविश्वास नहीं करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कोलेटरल पर्पस यानि कब्जा के संबंध में न्यायालय इकरारनामा देख व पढ़ सकती है इस कारण हम वकील प्रत्यार्थी के कथनों से सहमत नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य लिए व बिना कब्जे की जांच करावाए निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अपील पत्रावली पर प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2042, 2051,2054, 2059, 2071 एवं धारा 91 के नोटिस जो भिन्न–भिन्न समय पर अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार नसीराबाद द्वारा जारी किए जाने से अपीलार्थीगण के विवादित भूमि पर कब्जें की पुष्टि होती है तथा साथ ही मौका पर्चा दिनांक 22.07.22 के अनुसार जो पटवारी हल्का रामसर द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को प्रतिप्रेषित की गई के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 9177 रकबा 5.69 में से 1.60 हैक्टर भूमि पर बहीदुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन, खालिद पुत्र साहबुदिन, न्यामत पुत्र नसरूद्दीन एवं साबरा पत्नी न्यामत का कब्जा काश्त होना बताया है उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट/वादी का कब्जा काश्त नहीं बताया गया है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित होता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को पक्षकार बनाए व सुने निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिंदु पर भी गौर नहीं किया कि " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 88 अधिकारों की घोषणा किए जाने हेतु दावे– (1) कोई व्यक्ति जो आसामी या संयुक्त आसामी है, इसकी घोषणा करवाने के लिए कि वह आसामी है या उस संयुक्त काश्तकारी में अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिए दावा दायर कर सकता है। (2) खुदकाश्त का आसामी इस बात की घोषणा के लिए दावा कर सकता है कि यह खुदकाश्त का आसामी है। (3) शिकमी आसामी ऐसी व्यक्ति पर जिससे लेकर वह भूमि धारण करता है यह घोषणा करवाने के लिए दावा दायर कर सकता है कि वह शिकमी आसामी है। (4) राज्य सरकार के अलावा कोई भूमि धारी ऐसे व्यक्ति पर जो किसी भूमि क्षेत्र का आसामी या संयुक्त आसामी है, या खुद काश्त का आसामी अथवा शिकमी आसामी होने का दावा करता है, उसके अधिकार की घोषणा के लिए दावा कर सकता है।" इस प्रकार उपरोक्त कानूनी स्थिति देखने से स्पष्ट है कि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति काश्तकार संयुक्त काश्तकार खुदकाश्त का आसामी अथवा शिकमी आसामी होने की उदघोषणा बाबत धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत कर सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को अपने निर्णय व डिक्री में रेस्पोडेंट को विवादित भूमि का गैर खातेदार घोषित किया है जबकि धारा 88 में गैर खातेदार घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है यह क्षेत्राधिका भू राजस्व अधिनियम के तहत केवल मात्र तहसीलदार को है और यदि तहसीलदार आदेश नहीं करता है उस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पीडित पक्षकार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है परंतु हमारे विनम्र मत के अनुसार धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार गैर खातेदारी हकों की उदघोषणा नहीं की जा सकती इस कानूनी बिंदु पर भी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विचार किए निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्योयोचित नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 143/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद को इस आश्य से प्रतिप्रेषित की जाती है, कि वे निर्णय में दिए गए उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संबंधित सभी पक्षकरों को जवाब साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें तथा उभयपक्षकारान को निर्देश दिए जाते हैं, कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असालतन वकालतन दिनांक 08.02.2023 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner